संलग्नक-I

[फरवरी 06, 2008 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज़)परिपत्र सं.28 का संलग्नक]

अनिवासी विनिमयगृहों के रुपया /विदेशी मुद्रा वास्त्रो खाता खोलने और उसे बनाए रखने के अनुदेशों के ज्ञापन

अनिवासी विनिमयगृहों के रुपया /विदेशी मुद्रा वास्त्रो खाता खोलने और उसे बनाए रखने के लिए प्राधिकारी व्यापारी श्रेणी I बैंकों को रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता पड़ती है ।अनिवासी विनिमयगृहों के रुपया /विदेशी मुद्रा वास्त्रो खाता खोलने और उसे बनाए रखने के विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत नीचे दिए गए हैं ।

(अ) रुपया वास्त्रो खाते का परिचालन
(आ) अनुमत लेनदेन
(इ) रुपया आहरण व्यवस्था प्रक्रिया और कोलेटेरल सुरक्षा
(ई) विदेशी मुद्रा आहरण व्यवस्था
(उ) विविध प्रावधान
(ऊ) आंतरिक नियंत्रण और खातों की निगरानी
(ए) रिपोर्ट /विवरण

(अ) रुपया वास्त्रो खाते का परिचालन

1.रुपया आहरण व्यवस्था के तहत खाड़ी देशों, हांगकांग और सिंगापुर स्थित विनिमयगृहों के माध्यम से भारत में आवक प्रेषण प्राप्त किए जाते हैं । अनिवासी विनिमयगृहों को रुपया वास्त्रो खाता खोलने और उसे बनाए रखने के लिए रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता पड़ती है । प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक , खाड़ी देशों, हांगकांग और सिंगापुर से विनिमयगृहों के अनिवासी रुपया वास्त्रो खाता भारत में खोलने और उसे बनाए रखने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ सल्ग्नक II में दिए गए फार्म में रिज़र्व बैंक को आवेदन करे ।
2.विनिमयगृहों के अनिवासी रुपया वास्त्रो खाता खोलने और उसे बनाए रखने के विभिन्न प्रावधान इस ज्ञापन में दिए गए हैं ।

3. सामान्य अनुदेश:-
i. खाता खोलने के लिए किसी विनिमयगृह के अनुरोध पर विचार करते समय संबंधित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक सामान्य बैंकिंग प्रथा के अनुसार विनिमयगृहों की वित्तीय आधार के बारे में आवश्यक जांच -पड़ताल करे और सभी प्रकार से खुद को पूरी तरह संतुष्ट करे ।

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक यह भी सुनिश्चित करे कि विनिमयगृहों के पास संबंधित स्थानीय मौद्रिक/पर्यवेक्षी प्राधिकरण द्वारा जारी वैध लाइसेंस है और मुद्रा विनिमय /मुद्रा अंतरण कारोबार के लिए आवश्यक प्राधिकार एवं लाइसेंस है ।

ii. प्राधिकृत व्यापारी द्वारा किसी विनिमयगृह के साथ की गई व्यवस्था व्यापक कानूनी प्रलेखीकरण की शर्त पर और विधिवत् पंजीकृत हो। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विनिमयगृह के सभी साझेदार संयुक्त और अलग-अलग रूप से करार के तहत विनिमयगृहों पर आए दायित्वों को पूरा करने के लिए बाध्य होते हैं ।

iii. पावर ऑफ एटर्नी के पंजीकरण/विनिमयगृह के हस्ताक्षरकर्ता पदाधिकारियों के नमूना हस्ताक्षर की सामान्य बैंकिंग अपेक्षाओं का ध्यान रखा जाता है ।

4. रुपया वास्त्रो खाता में परिचालन के संबंध में अनुदेश :-

i. खातों का उपयोग मुख्यत: भारत को निजी खातों में आवक प्रेषण पहुंचाने के लिए किया जा सकता है । प्रेषक और लाभार्थी (अधिकांश मामलों में) अलग होने चाहिए । व्यापार लेनदेनों के वित्तपोषण के लिए विनिमयगृहों के माध्यम से प्रेषण प्रति लेनदेन 200,000 रु.(दो लाख रुपए मात्र) की अनुमति है । ***खातों का उपयोग भारत से जावक प्रेषणों के लिए न किया जाए ।***

ii. खातों का परिचालन जमा आधार पर किया जाए । खाताधारकों को कोई ओवरड्राफ्ट सुविधा न दी जाए । फिर भी , नामित डिपोजिटरी एजेंसी (डीडीए) प्रक्रिया के मामले में, आवश्यकता हो तो, डीडीए खाते में जमा निधियों को हिसाब में लिया जाए । निधियों की पर्याप्तता की जांच और गुप्त ओवरड्राफ्ट का पता लगाने के लिए आहरिती बैंक में जब कोई भुगतान किया जाता है तो तत्काल आधार पर जहां रुपया वास्त्रो खाते को ऑनलाईन डेबिट करना संभव नहीं होता है तो बैंक राशि की उपलब्धता की तारीख (वैल्यू डेटिंग) को अपनाएं । फिर भी , आहरिती शाखाओं की यथाशीघ्र नेटवर्किग की जाए ।

iii. प्रत्येक व्यवस्था के लिए पृथक रुपया वास्त्रो खाता रखा जाएगा । प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक, जिसके पास खाता है, को अनुमत विदेशी मुद्रा की बिक्री द्वारा खाते का निधीयन किया जाएगा। अन्य प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक अथवा अन्य वास्त्रो खाते से अंतरित रुपया निधियां खाते में जमा के लिए पात्र नहीं होंगी ।

iv. अनुमत प्रकार के नामे (उपर्युक्त मद 4(i) देखें)मुक्त रूप से डाले जाए और उन्हें वही महत्व दिया जाए ,जो भारत में किसी अनुमोदित तरीके में विदेशी मुद्रा के प्रेषण को दी जाती है । इसप्रकार , ऐसे भुगतान अनिवासी भारतीयों द्वारा रखे गए अनिवासी (बाह्य) रुपया खाते में जमा करने अथवा प्राथमिकताप्राप्त आबंटन आदि योजना के तहत स्वीकार किए जाने के लिए पात्र होंगे । ताकि ऐसे खातों के माध्यम से प्रेषण प्राप्त कर रहे पर्यटक (चाहे वह भारतीय हो या नहीं) यथावश्यक निधियों के बाह्य स्त्रोत (भारत में किराए के भुगतान अथवा उपयोग न किए गए शेष राशि के पुन:परिवर्तन के लिए) को साबित कर सके ,प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक उसी रूप में प्रमाणपत्र जारी करे जैसा समुद्रपारीय बैंकों के रुपया खाते के माध्यम से प्राप्त आवक प्रेषणों के लिए जारी किया जाता है ।

v. ऐसे खातों की निधियां न तो परिवर्तनीय होंगी न ही अन्य प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक अथवा अन्य ऐसी संस्था अथवा उसी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक के बैंकों के अनिवासी खाते में अंतरणीय होंगी ।

vi. ब्याज भुगतान के लिए रुपया खाते की शेष राशि पात्र नहीं होगी ।

vii. विनिमयगृहों के रुपया वास्त्रो खाता रखनेवाले प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक तबतक विनिमयगृहों द्वारा खरीदे गए रुपए को खाते में जमा नहीं कर सकते जबतक उन्हें इस आशय की पुष्टि प्राप्त नहीं हो जाती है कि प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक के नास्त्रो खाता में विदेशी मुद्रा में प्रति-मूल्य (काउंटर-वैल्यू) के साथ जमा किया गया है (स्पष्टीकरण-विदेशी मुद्रा कारोबार पर आंतरिक नियंत्रण के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों का पैराग्राफ 3.3.1, दिसंबर ,1996) ;

viii. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक जमा और परिचालनगत जोखिमों का ध्यान रखने की व्यवस्था के तरीके के आधार पर नकदी जमा अथवा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के किसी बैंक की गारंटी के रूप में उपयुक्त और पर्याप्त कोलेटेरल प्राप्त कर सकते हैं ।

ix. विनिमयगृह के साथ किसी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक के गठजोड़ के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन जरूरी है । विवेकपूर्ण उपाय के रूप में रिज़र्व बैंक ने व्यस्थाओं की संख्या पर 20 और आहरणकर्ता शाखाओं की संख्या पर 300 की सीमा निर्धारित की है । फिर भी , सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन प्रणाली और वास्त्रो खाते में गुप्त ओवरड्राफ्ट से बचने के लिए निधियों की ऑन -लाईन निगरानीवाले प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों के लिए रिज़र्व बैंक उपर्युक्त प्रतिबंधों को शिथिल करे।।

(आ) अनुमत लेनदेन

विनिमयगृहों के साथ आहरण व्यवस्था की रूपरेखा मुख्यत: आवक व्यक्तिगत प्रेषणों को लाने के लिए तैयार की गई है । ***किसी भी परिस्थिति में , चैरिटेबुल संस्थाओं को दान / चंदा विनिमयगृहों के माध्यम से न भेजे जाएं।*** विनिमयगृहों के साथ आहरण व्यवस्था के तहत अनुमत लेनदेनों की सूची निम्नलिखित है ।

1. भारतीय रुपए में अनिवासी भारतीयों द्वारा रखे गए अनिवासी (बाह्य)रुपया खाते में जमा ।
2. अनिवासी भारतीयों के परिवारों को भुगतान ।
3. प्रीमियम / निवेश के लिए बीमा कंपनियों , म्युचुअल फंडों के पक्ष में भुगतान ।
4. शेयरों , डिबेंचरों में निवेश के लिए बैंकरों के पक्ष में भुगतान ।
5. अनिवासी व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के नाम में भारत में आवासीय फ्लैट के अधिग्रहण के लिए को-ऑप. हाऊसिंग सोसाइटियों,सरकारी आवास योजनाओं अथवा इस्टेट डेवेलॉपर्स को भुगतान बशर्ते उसके विनियमों का अनुपालन करता है ।

6. स्कूल , कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थाओ केा ट्यूशन / बोर्डिग , परीक्षा फीस आदि के लिए भुगतान ।

7. भारत में अनिवासी भारतीयों / उनके आश्रितों और खाड़ी देशों के राष्ट्रीकों की चिकित्सा के लिए चिकित्सा संस्थाओं और अस्पतालों को भुगतान ।

8. खाड़ी देशों के राष्ट्रीकों / अनिवासी भारतीयों द्वारा उनके ठहरने के लिए होटलों को किए गए भुगतान ।

9. अनिवासी और भारत में निवास करनेवाले उनके परिवारों की भारत में घरेलू एयरलाईन/रेल, आदि द्वारा यात्रा के बुकिंग के लिए ट्रेवेल एजेंटों को भुगतान ।

10. प्रति लेनदेन 2 लाख रुपए तक व्यापार लेनदेन ।

टिप्पणी : रुपया /विदेशी मुद्रा आहरण व्यवस्था के तहत प्राप्त प्रेषण के नकदी वितरण की अनुमति नहीं है ।

(इ) रुपया आहरण व्यवस्था प्रक्रिया और कोलेटेरल रक्षा

नामित निक्षेपागार एजेंसी (डीडीए),गैर नामित निक्षेपागार एजेंसी (नॉन-डीडीए) और तेज प्रेषण प्रक्रियायों के तहत रुपया आहरण व्यवस्था का संचालन किया जा सकता है ।

1. नामित निक्षेपागार एजेंसी (डीडीए) प्रक्रिया

i. विनिमयगृह को रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से अदाकर्ता बैंक को स्वीकार्य किसी अंतर्राष्ट्रीय बैंक (डीडीए) के साथ परस्पर सहमत केंद्र पर अथवा तदनुरूपी रुपया वास्त्रो खाता रखनेवाली शाखा में स्वयं अदाकर्ता बैंक के साथ अदाकर्ता बैंक (खाता-विनिमय गृह) के नाम में परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में एक बैंक खाता खोलना जरूरी है ।

ii. विनिमयगृह प्रत्येक दिन की समाप्ति पर उस दिन के लिए भारतीय रुपए में कुल आहरण का योग करेगा और उसे विदेशी मुद्रा में परिवर्तित करेगा जिस राशि को अगले कार्य दिवस को अपराह्न के पहले अदाकर्ता बैंक (खाता-विनिमय गृह) (उपर्युक्त 1(i) में बताए गए अनुसार) के खाते में जमा किया जाएगा ।

iii. विनिमय गृह आहरित ड्राफ्टों की कुल संख्या और सकल मूल्य तथा डीडीए खाते में दैनिक जमा एवं उससे अंतरण के बारे में सूचना यथासंभव लगातार अदाकर्ता बैंक को देगा ।

iv. **डीडीए खाता अदाकर्ता बैंक को लियन के तहत निधियों को अपने पास रखेगा । डीडीए खाता को केवल (क)अदाकर्ता बैंक के नास्त्रो खाते में अंतरण पर ,जहां डीडीए खाता अदाकर्ता बैक से इतर बैंक के पास रखा जाता है, (ख) जहां डीडीए खाता अदाकर्ता बैंक के पास रखा जाता है,वहां अदाकर्ता बैंक को अनुमत विदेशी मुद्रा की बिक्री करके विनिमय गृह के रुपया वास्त्रो खाते में जमा के लिए नामे डालने की अनुमति है ।**

v. किसी विशेष दिन को जमा की गई राशि के डीडीए में अंतरण की व्यवस्था क़रना विनिमय गृह की जिम्मेदारी होगी । डीडीए खाते के साथ निधियों की अस्थायी अवधि का निर्धारण अधिकतम **तीन दिनों** के अधीन विनिमय गृह के परामर्श से अदकर्ता बैंक करेगा ।

vi. उपर्युक्त 1(ii) के लिए किए गए प्रावधान के अनुसार अदाकर्ता बैंक के नास्त्रो खाते में अंतरण की तारीख तक डीडीए के पास विनिमय गृह द्वारा जमा की गई राशि पर अर्जित ब्याज विनिमय गृह को प्राप्त होगी।

vii. उपर्युक्त के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए भारत स्थित अदाकर्ता बैंक संबंधित देश में कार्य कर रहे सनदी लेखकार /लेखा परीक्षकों की फर्म को नियुक्त करेगा कि वे डीडीए के पास रखे गए खाते में दैनिक आहरण और जमा ,साथ ही अदाकर्ता बैंक के नास्त्रो खाते को अंतरण की जांच करे । इस प्रयोजन के लिए ,विनिमय गृह लेखापरीक्षकों को विनिमय गृह की बहियों,पे इन वाऊचर्स आदि के निरीक्षण की उस सीमा तक अनुमति देगा जहां तक वे रुपया आहरण व्यवस्था से संबंधित हैं । लेखापरीक्षक ऐसे निरीक्षण हरेक सप्ताह कम से कम एक या दो बार करेंगे ।

viii. उपर्युक्त पैरा 1(vii) में बताए गए अनुसार लेखापरीक्षकों की नियुक्ति के विकल्प के रूप में, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक ऐसे कार्य करने के लिए विनिमय गृहों में अपने प्रतिनिधि के रूप में उपयुक्त अधिकारी को प्रतिनियुक्त करें ताकि प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक के हितों की रक्षा हो सके ।

ix. लेखापरीक्षक /प्रतिनिधि तत्काल निष्कर्षों की सूचना अदाकर्ता बैंक को देंगे। विनिमय गृहों की ओर से चूक होने पर अदाकर्ता बैंक करार की शर्तों के अनुसार विनिमय गृह को नोटिस देते हुए एजेंसी करार को समाप्त करेगा । करार समाप्ति की सूचना भी रिज़र्व बैंक को तत्काल दी जाएगी ।

x. जबतक विनिमय गृह मार्गदर्शी सिद्धातों का अनुपालन करता है ,अदाकर्ता बैंक सुनिश्चित करेगा कि जारी किए गए ड्राफ्ट परस्पर सहमत शाखाओं में स्वीकार किए जाते हैं ।

xi. लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक अदाकर्ता बैंक देगा ।

xii. विनिमय गृहों द्वारा आहरित ड्राफ्टों की वैधता उनके जारी होने की तारीख से मात्र तीन महीने के लिए होगी ।

xiii. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक स्वयं को आश्वस्त करे कि विनिमय गृहों के खाता बहियों की स्थानीय पर्यवेक्षण प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित लेखा परीक्षकों द्वारा नियमित रूप से लेखा परीक्षा की जाती है ।

xiv. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक ,विनिमय गृहों की आवधिक क्रेडिट रिपोर्ट,लेखापरीक्षित तुलनपत्र और लाभ-हानि लेखा तथा अन्य संबंधित सूचनाएं मंगाएं ताकि अपनी बहियों में लेखे को बनाए रखने के संबंध में निर्णय ले सके।

xv. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक सभी लाइसेंसों की वैध प्रतियां भी अपने रिकार्ड में रखें ।

xvi. चूंकि विनिमय गृहों के बही खातों का निरीक्षण नहीं किया जा सकता है , प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक , विनिमय गृहों का दौरा करके आवधिक समीक्षा और /अथवा मूल्यांकन रिपोर्ट की आवधिक रूप से समीक्षा करे । प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक की ओर से दौरे, पर्याप्त वरिष्ठ स्तर के अधिकारी ,जो विनिमय गृह के अनिवासी रुपया खाते के संचालन से भलीभांति परिचित हों ,करें ।

कोलेटेरल कवर : विनिमय गृह , जिन्होंने परिचालन में तीन वर्ष पूरे नहीं किए हैं, डीडीए /नॉन डीडीए/ शीघ्र प्रेषण व्यवस्था के लिए कोलेटेरल कवर एक माह के अनुमानित

आहरण के समकक्ष नकदी जमा अथवा अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त बैंक से गारंटी प्राप्त करके करे। विनिमय गृह , जिन्होंने सफल परिचालन में तीन वर्ष पूरे किए हैं, के लिए कोई कोलेटेरल कवर निर्धारित नहीं है। फिर भी , प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक पर्याप्त कोलेटेरल कवर मांगकर अपनी स्थिति सुरक्षित करें । उपर्युक्त 1 (vii) के अनुसार , लेखापरीक्षक नियुक्त करना संभव न हो तो , कोलेटेरल कवर के रूप में 15 दिनों के अनुमानित आहरण के समकक्ष नकदी जमा अथवा अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त बैंक से गारंटी प्राप्त करके की जाए ।

2. <u>नॉन- डीडीए प्रक्रिया</u>

उपर्युक्त के अनुसार डीडीए खाता रखने और लेखापरीक्षक की नियुक्ति के एक विकल्प के रूप में , प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक नॉन- डीडीए प्रक्रिया अपना सकते हैं ।

नॉन -डीडीए प्रक्रिया के तहत विनिमय गृह ,आवधिक अंतराल पर उनके द्वारा जारी कुल ड्राफ्टों के लिए अमरीकी डालर की जमानत पर प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक से रुपए की खरीद द्वारा प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक के पास रखे गए अपने वास्त्रो खाते का निधीयन करते हैं और प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक को आहरण और निधीयन संबंधी साप्ताहिक विवरण भेजते हैं।

कोलेटेरल कवर : विनिमय गृह भारत अथवा विदेश में चल औसत के आधार पर 15 दिनों के आहरण के समकक्ष अमरीकी डालर की नकदी जमाराशि रखेगा । जमाराशि उस पर बाजार दर ब्याज के साथ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक के नाम में हो और जमाराशि रखनेवाले विनिमय गृह को देय हो । विनिमय गृह समकक्ष राशि के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त बैंक से प्राप्त बैंक गारंटी भी प्रस्तुत करेगा । जमा और गारंटी की राशि की समीक्षा और उचित निगरानी आवधिक आधार पर प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आहरण और मूल्यांकित प्रक्रियाधीन नामे को हिसाब में लेने के लिए पर्याप्त कोलेटेरल कवर है । यदि विनिमय गृह की बहियों की जांच के लिए बैंक के अपने स्टाफ को प्रतिनियुक्त करने के बैंक के अधिकार पर रोक है , जैसा कि कुवैत में विनिमय गृहों के मामले में है , तो 15 दिनों के अनुमानित आहरण के समकक्ष अतिरिक्त नकदी जमा /अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त बैंक से गारंटी प्राप्त की जाए ।

3. <u>शीघ्र प्रेषण प्रक्रिया</u>

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक को शीघ्र प्रेषण प्रक्रिया के तहत आडीए में सम्मिलित होने की अनुमति है , जहां-

i)विनिमय गृह स्विफ्ट अथवा इंटरनेट के माध्यम से नाम,पता ,आदि के पूरे ब्यौरे सहित भुगतान अनुदेश भेजता है।

ii)विनिमय गृह, भुगतान अनुदेश जारी करने के काफी समय पहले ही प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक के नास्त्रो खाते के माध्यम से रुपया खाते का निधीयन करता है।

iii)प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक ,आंकड़े और विनिमय गृह के वास्त्रो खाते में शेष की उपलब्ता के सत्यापन पर हिताधिकारी के पक्ष में ड्राफ्ट जारी करेगा अथवा हिताधिकारी के खाते में जमा डालेगा ।

iv)विनिमय गृह ,हिताधकारियों के केंद्र पर ध्यान दिए बगैर ,प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक की खाता रखनेवाली शाखा को सभी भुगतान अनुदेश देगा ।

v)खाते में स्पष्ट निधि उपलब्ध न होने पर शाखा कोई भुगतान नहीं करेगा ।

vi)प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक , विनिमय गृह से ऐसे अंतरणों की संख्या और सकल मूल्य के संबंध में आंकड़ेवार सूचना प्राप्त करेगा ।

vii) जहां वर्तमान रुपया आहरण व्यवस्था को शीघ्र प्रेषण की सुविधा दी जाती है वहां विनिमय गृह ,रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से एक अलग रुपया खाता खोलेगा और जबतक इस खाते में स्पष्ट निधियां जमा नहीं हो जाती है,तबतक कोई भी भुगतान आदेश क्रियान्वित नहीं किया जाएगा ।

फिर भी ,जहां डीडीए/नॉन-डीडीए प्रक्रिया के तहत वर्तमान रुपया आहरण व्यवस्था में परिचालन संतोषजनक है , प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक ,सामान्य शर्तों के तहत और विनिमय गृहों से सभी आवश्यक दस्तावेज़ प्राप्त करने के बाद रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बगैर उसी विनिमय गृह को शीघ्र प्रेषण की सुविधा दे सकता है । फिर भी ,रिज़र्व बैंक को तत्काल सूचित किया जाए ।

कोलेटेरल कवर: विनिमय गृह किसी भी परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में 3 दिनों के अनुमानित आहरण के समकक्ष नकद जमा प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक के पास रखेगा जिस पर बाजार से संबंधित दर पर ब्याज का भुतान किया जाए। विनिमय गृह किसी अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त बैंक से प्राप्त गारंटी के रूप में भी उपर्युक्त कोलेटरल रख सकता है।

(ई)विदेशी मुद्रा आहरण व्यवस्था

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक उन विनिमय गृहों के साथ डीडीए अथवा नॉन-डीडीए प्रक्रिया के तहत विदेशी मुद्रा आहरण व्यवस्था शुरू कर सकता है जिसके साथ उनका रुपया आहरण व्यवस्था है।

i)विनिमय गृह , प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक "अ" अथवा "आ" श्रेणी की शाखाओं पर किसी भी परिवर्तनीय मुद्रा में ड्राफ्ट आहरित कर सकता है। इस व्यवस्था में किसी भी "इ" श्रेणी की शाखा को भाग लेने की अनुमति नहीं है ।

ii) विदेशी मुद्रा आहरण व्यवस्था से रुपया आहरण व्यवस्था को अलग रखा जायगा।

iii)विनिमय गृह, खाते का रखरखाव करनेवाली शाखा के साथ एक अलग विदेशी मुद्रा वास्त्रो खाता खोलेगा।ऐसे ड्राफ्टों का भुगतान विनिमय गृह द्वारा रखे गए इस खाते के नामे डाल कर किया जाएगा न कि प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक के नास्त्रो खाते में।

iv)किसी भी दिन विनिमय गृह द्वारा विदेशी मुद्रा में आहरित ड्राफ्ट की सकल राशि आहरणकर्त्ता बैंक के नास्त्रो खाते में अगले कार्य दिवस में कारोबार समाप्ति पर अवश्य जमा की जाए ।

v)आहरणकर्त्ता प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक उनके नास्त्रो खाते में जमा की पुष्टि की प्राप्ति सूचना पर विनिमय गृह के विदेशी मुद्रा वास्त्रो खाते को क्रेडिट करे ।

vi) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक यह सुनिश्चित करे कि विदेशी मुद्रा खाते का हमेशा निधीयन किया जाता है ।

यदि व्यवस्था नॉन-डीडीए प्रक्रिया के तहत की गई है तो विनिमय गृह विदेशी मुद्रा में आहरित ड्राफ्ट की संख्या और सकल राशि की सूचना अगले कार्य दिवस के कारोबार की समाप्ति के पहले किसी इलेक्ट्रानिक माध्यम से खाता रखनेवाली शाखा को दे। डीडीए प्रक्रिया के तहत, ऐसी सूचना कम से कम पखवाड़े आधार लगातार पर प्राप्त की जाए ।

कालेटेरल कवर: विनिमय गृह,आहरणकर्त्ता प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक के पास कम से कम 50000 अमरीकी डालर की जमा राशि रखे। इस व्यवस्था के तहत परिचालन के आधार पर बैंक के पास रखी गई जमारशि की प्रमात्रा की पर्याप्तता की समीक्षा प्रत्येक छः माह पर की जानी चाहिए और यदि आवश्क हो तो,विनिमय गृह जमाराशि की प्रमात्रा को बढ़ाए। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक उचित दर पर इस राशि पर ब्याज की अनुमति दे।

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों को भारत में विदेशी मुद्रा ड्राफ्ट आहरण व्यवस्था और रुपया आहरण व्यवस्था की नॉन-डीडीए प्रक्रिया के तहत रखे जाने के लिए अपेक्षित जमा की राशि खाता रखनेवाली शाखा के पास रखने की अनुमति है।

(उ) विविध प्रावधान

i)प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक रुपया/विदेशी मुद्रा आहरण व्यवस्था के तहत कोई भी लेनदेन करते समय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी यथालागू अपने ग्राहकों को जानिए/एएमएल मार्गदर्शी सिद्धांतो का अनुपालन करें।

(ii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक अपने संगामी लेखापरीक्षा में रुपया/विदेशी मुद्रा आहरण व्यवस्था को शामिल करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विनिमय गृह के वास्त्रो खाते में निधियां हिताधिकारियों को भुगतान करने के पहले जमा की जाती है।

(iii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक रुपया/विदेशी मुद्रा आहरण व्यवस्था के माध्यम से प्राप्त प्रेषणों के संबंध में समुचित सावधानी बरते ताकि धन शोधन से संबंधित विनियमों का अनुपालन इमानदारी से किया जाता है। व्यापारी श्रेणी I बैंक ,विनिमय गृहों से उनके लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित एक वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट मंगाएं कि धन शोधन निवारक से संबंधित उस देश के विनियमों का अनुपालन कर रहे हैं ।

iv)प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक इस संबंध में सतत चौकसी रखते हुए रुपया/वदेशी मुद्रा आहरण व्यवस्था के परिचालनों में असामान्य लक्षणों की सूचना रिज़र्व बैंक को देते रहें।

v)प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक यह सुनिश्चित करें कि विनिमय गृहों के लाइसेंस,जिनकी अवधि समाप्त हो चुकी है, का नवीकरण किया जाता है और अधिप्रमाणित अंग्रेजी पाठ की प्रतियां उनके रिकार्ड के लिए उनके पास रखी जाती हैं।

(vi) विनिमय गृह भारत में अपने बैक ऑफिस परिचालनों जैसे कि उनकी ओर से आहरण सूचना और भुगतान पर रोक के अनुदेश के लिए सेवा प्रादाता के साथ कोई करार न करे तथा प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक ऐसे सेवा प्रदाताओं के अनुदेशों पर कोई कार्य न करे। फिर भी, रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से विनिमय गृह भारत में संपर्क कार्यालय खोल सकता है और भारत में संपर्क कार्यालय द्वारा ड्राफ्टों की प्रिंटिंग आहरण सूचनाओं को जारी करना और भुगतान रोकने के अनुदेश जैसे परिचालन कर सकता है ।

vii)प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक ऐसे विनिमय गृहों ,जिनके नाम और संगठन में परिवर्तन होता है, के खातों के रखरखाव के लिए रिज़र्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त करे।

(ऊ) खातों का आंतरिक नियंत्रण और निगरानी

(i)) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक वर्तमान अनुदेशों के अनुसार खातों के आंतरिक नियंत्रण और निगरानी प्रणाली को पर्याप्त संगत बनाए।

(ii) विनिमय गृहों के वास्त्रो खाते का आंतरिक निरीक्षण:- प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों को चाहिए कि वे अनुभवी अधिकारियों के माध्यम से छमाही आधार पर विनिमय गृहों के वास्त्रो खाते के निरीक्षण को प्रेरित करें। निरीक्षण रिपोर्ट का प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक के सक्षम अधिकारी सावधानीपूर्वक अध्ययन करे ताकि तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की जा सके। उसके संबंध में की गई टिप्पणियों को बोर्ड को प्रस्तुत किए जानेवाले खातों की सालाना समीक्षा में शामिल किया जाएगा ।

(ए)रिपोर्ट /विवरण

i)**विवरण अ:**इस विवरण**(संलग्नक-IIIमें दिए गए अनुसार)** का उद्देश्य विनिमय गृहों के रुपया/विदेशी मुद्रा वास्त्रो खाते में परिचालन के विस्तृत ब्योरे को दर्शाना है और इसे हर माह तैयार करना होगा। इस विवरण की सावधानीपूर्वक जांच की जाए ताकि यह पता चल सके कि खाते में रखी गई निधियां अनुमानित प्रक्रियाधीन नामे की रक्षा के लिए पर्याप्त है। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक का शीर्ष प्रबंधनतंत्र प्रक्रियाधीन आंकड़ों का हिसाब लगाए और उसके लिए स्वयं अपनी सीमा निर्धारित करे,निर्धारित सीमाओं की पालन की सूचना तिमाही आधार पर शीर्ष प्रबंधनतंत्र को दी जाए ।

(ii) **विवरण आ** : विनिमय गृहों जो बंद हो चुके हैं/बंद होने की प्रक्रिया में हैं ,के रुपया/विदेशी मुद्रा वास्त्रो खाते की स्थिति को दर्शानेवाला एक समेकित छमाही विवरण **(संलग्नक-IVमें दिए गए अनुसार)**

(iii) **विवरण इ :** वसूली आय और एडिशनल कोलेटेरल को रखने के लिए डीडीए/नॉन-डीडीए प्रक्रिया के तहत भारतीय बैंकों की समुद्रपारीय शाखाओं में रखे गए विनिमयगृहों के खातों के संबंध में सूचना देनेवाला एक मासिक विवरण **(संलग्नक- V में दिए गए अनुसार)।**

(iv) **विवरण ई :** यह मासिक विवरण (**संलग्नक- VI में दिए गए अनुसार)** विनिमयगृह के विदेशी मुद्रा वास्त्रो खाते में परिचालन के बारे सूचना प्रदान करता है।

नोट:-जबकि विवरण अ से ई को भारिबैं को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है,प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I इन विवरणों को तैयार करें और निर्धारित अवधि में निरीक्षण के लिए प्रेरित करें। संबंधित विवरण/रिपोर्ट, किए गए /किए जा रहे सुधारात्मक उपायों को बताते हुए उपयुक्त स्पष्टीकरण नोटों के साथ उनके अपने-अपने शीर्ष प्रबंधन को निश्चित रूप से प्रस्तुत किया जाए।

(v) **विवरण उ :** इस विवरण (**संलग्नक- VII में दिए गए अनुसार)** को प्रत्येक तिमाही के कुल प्रेषणों और कारोबार में वृद्धि के संबंध में सांख्यकीय सूचना संग्रहण के लिए बनाया गया है। इस तिमाही विवरण को संबंधित तिमाही के अनुवर्ती माह के 15 तारीख के पहले मुख्य महाप्रबंधक ,भारतीय रिज़र्व बैंक,विदेशी मुद्रा विभाग ,केंद्रीय कार्यालय ,विदेशी मुद्रा बाज़ार प्रभाग ,मुंबई - 40001 को प्रस्तुत किया जाना है।

(vi) **वार्षिक समीक्षा** - प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक , अपने बोर्ड द्वारा विधिवत् अनुमोदित रुपया/विदेशी मुद्रा आहरण व्यवस्था (आरडीए) के तहत उनके रखरखाव वाले विनिमयगृहों के वास्त्रो खातों के संबंध में पिछले वर्ष के जनवरी 1से दिसंबर 31 की अवधि को शामिल करते हुए एक वार्षिक समीक्षा नोट प्रत्येक वर्ष जून30तक मुख्य महाप्रबंधक,भारतीय रिज़र्व बैंक,विदेशी मुद्रा विभाग ,केंद्रीय कार्यालय ,विदेशी मुद्रा बाज़ार प्रभाग ,मुंबई -40001 करे । समीक्षा नोट में (क) विनिमयगृहों की ऋण-पात्रता (वित्तीय विवरण और बाज़ार से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर),(ख) विनिमयगृहों की लाइसेंसों की वैधता और विनिमयगृहों द्वारा उस देश (होम कंट्री) के अपने ग्राहकों को जानिए/धन शोधन निवारक मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन (ग) वित्तीय हानि, यदि किसी लेनदेन ,किसी घटना,विवाद ,आदि के कारण हुआ हो, (घ) प्रत्येक व्यवस्था के तहत अलग-अलग कुल कारोबार , (ड.) वास्त्रो खाते के लिए निधीयन व्यवस्था, (च)विनिमयगृहों के खातों का अर्धवार्षिक निरीक्षण, (छ) पर्यवेक्षण (खातों में परिचालन की निगरानी के लिए प्रचलित प्रणाली),(ज) आंतरिक नियंत्रण और ज़ोखिम प्रबंध प्रणाली ,(झ) ओवरड्राफ्ट और वसूले गए ब्याज़ जैसे विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जाए। यदि बोर्ड ने निदेश जारी किए हैं तो,उस उद्धरण को वार्षिक समीक्षा नोट के साथ रिज़र्व बैंक को अग्रेषित किया जाए। वार्षिक समीक्षा नोट प्रस्तुत करते समय,(क) विनिमयगृहों के साथ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों के रुपया / विदेशी मुद्रा आहरण व्यवस्था के पूर्ण ब्योरे

(डीडीए/नॉन डीडीए/त्वरित प्रेषण) भारिबैं द्वारा दिए गए अनुमोदन और वास्त्रो खाता खोलने की तारीख सहित (ख) आहरण व्यवस्था की समाप्ति की तारीख,यदि कोई हो (आहरण व्यवस्था जो समाप्त न की जा सकी हो,सहित),(ग) प्रत्येक व्यवस्था के तहत आहरणकर्त्ता शाखाओं की संख्या को शामिल किया जाए।

.....

संलग्नक-II

[फरवरी 06, 2008 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज़)परिपत्र सं.28 का संलग्नक]

विनिमयगृहों के साथ रुपया/विदेशी मुद्रा आहरण व्यवस्था हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन

(क) विनिमयगृहों के साथ रुपया/विदेशी मुद्रा आहरण हेतु अनुमति प्राप्त करने के आवेदन निर्धारित फार्मेट (नीचे दिया गया है) में पूरा भर कर मुख्य महाप्रबंधक,भारतीय रिज़र्व बैंक,विदेशी मुद्रा विभाग,केंद्रीय कार्यालय ,विदेशी मुद्रा बाज़ार प्रभाग ,मुंबई -40001 को प्रस्तुत किया जाए। आवेदन, आवेदक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक के महाप्रबंधक (अथवा समतुल्य श्रेणी के किसी अधिकारी),अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग प्रभाग/विदेशी विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हो।

(ख) प्रलेखीकरण

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक आवेदन के साथ निम्नलिखित प्रलेख प्रस्तुत करे:

(i)जहां विनिमयगृह स्थित है ,वहां के केंद्रीय बैंक/देश के किसी अन्य पर्यवेक्षी प्राधिकरण द्वारा जारी लाइसेंस की प्रमाणित प्रति (अंग्रेजी पाठ)।

(ii)जहां विनिमयगृह स्थित है ,वहां के म्युनिसिपल प्राधिकारियों और /अथवा अन्य सरकारी विनियामक /नियंत्रक प्राधिकरण द्वारा जारी लाइसेंस (लाइसेसों) की प्रमाणित प्रति/प्रतियां (संयुक्त अरब अमीरात स्थित विनिमयगृहों पर लागू)।

(iii)विनिमयगृहों द्वारा अपने देश में धन शोधक निवारक मानदंडों के अनुपालन के संबंध में सनदी लेखाकार से प्राप्त प्रमाणपत्र।

(iv)(क) संबंधित देश में भारत के दूतावास और (ख)विनिमयगृह के दो बैंकरों द्वारा रिकार्ड किए गए गोपनीय अभिमत /रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतियां।

(v)पिछले तीन वर्षों का विनिमयगृह का लेखापरीक्षित तुलनपत्र और लाभ-हानि विवरण।

(vi)आहरण व्यवस्था के लिए प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक के बोर्ड के संकल्प की प्रति।

(vii)जहां कहीं आवश्यक हो,कोलेटेरल के प्रावधानों के साथ रुपया/विदेशी मुद्रा आहरण के प्रस्ताव के संबंध में विनिमयगृह से प्राप्त पत्र की प्रति।

<u>भाग अ-आवेदक बैंक और इसकी वर्तमान व्यवस्था (व्यवस्थाओं),यदि कोई हो, के ब्योरे</u>

1. आवेदक बैंक का नाम
2. वर्तमान व्यवस्था (व्यवस्थाएं)
   (i) विनिमयगृह का नाम
   (ii) कब से
   (iii) आहरणकर्त्ता शाखाओं की संख्या
   (iv) पिछले तीन कैलेंडर वर्षों का कुल कारोबार
3. (क) बहु विनिमयगृह आहरण व्यवस्थावाली शाखाओं के ब्योरे
3. (ख) इन शाखाओं आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के संबंध में अभिमत दें
   (यथावश्यक पन्ना जोड़ें)
4. पिछले पांच वर्षों(अप्रैल-मार्च) के दौरान सतत वित्तीय हानि, यदि कोई हो

   (i) वर्ष
   (ii) विनिमयगृह का नाम
   (iii) हानि राशि
   (iv) हानि के ब्योरे
   (v) भारिबैं के पास दर्ज़ संदर्भ सं.और तारीख एवं बट्टे-खाते डालने की भारिबैं की अनुमति

5. लंबित भुगतान के लिए विनिमयगृह (विनिमयगृहों) के साथ वित्तीय विवाद, यदि कोई हो-
   (i) विनिमयगृह का नाम
   (ii) हानि की अनुमानित राशि
   (iii) हानि के ब्योरे
   (iv) भारिबैं के पास दर्ज़ संदर्भ सं.और तारीख

6. बैंक द्वारा शुरू कए गए सुधारात्मक उपायों को दर्शाते हुए लेखापरीक्षकों, भारिबैं के निरीक्षकों साथ ही समुद्रपारीय लेखापरीक्षकों द्वारा किए गए निरीक्षणों के दौरान वर्तमान आहरण व्यवस्था में पाई गई प्रमुख अनियमितताओं का एक विनिमयगृहवार सार प्रस्तुत करें

भाग आ- प्रस्तावित आहरण व्यवस्था के लिए विनिमयगृह के ब्योरे

1.(क) विनिमयगृह का नाम और पता ,जिसके साथ बैंक का रुपया/विदेशी मुद्रा आहरण व्यवस्था प्रस्तावित है

(ख) विनिमयगृह के स्थापना की तारीख

(ग) विनिमयगृह के अन्य समूह कंपनियों के ब्योरे अर्थात् नाम,प्रबंधन नियंत्रण,वित्तीय स्त्रोत और स्थिति ,आदि का ब्योरा दें

2.(क) क्या विनिमयगृह भारत में किसी बैंक के साथ रुपया/ विदेशी मुद्रा आहरण व्यवस्था का परिचालन करता है?

(ख) यदि हां तो,बैंक/बैंकों का नाम बताएं

3. विनिमयगृह के प्रबंधन संरचना के ब्योरे दें

(क) विनिमयगृह की हैसियत (कंपनी,फर्म,संयुक्त उद्यम,आदि)

(ख) प्रबंधन किसके पास निहित है

(ग) विनिमयगृह के प्रवर्तकों के कारोबार का नाम,राष्ट्रीयता और कारोबार का प्रकार

(घ) पूंजी धारिता का पैटर्न

(ड.) क्या आवेदक बैंक का विनिमयगृह में कोई निवेश होगा? पूर्ण ब्योरा दें।

(च) क्या आवेदक बैंक का विनिमयगृह के प्रबंधन में कोई भूमिका होगी? ब्योरा दें।

4. पिछले तीन कैलेंडरवर्षों के दौरान विनिमयगृह द्वारा अर्जित लाभ/हानि

5. संबंधित देश के केंद्रीय बैंक /पर्यवेक्षी प्राधिकरण द्वारा जारी लाइसेंस के ब्योरे :

क) लाइसेंस सं.

ख) जारी करने की तारीख

ग) वैधता अवधि

घ) विशेष परिस्थिति, यदि कोई हो

6. म्युनिसिपल प्राधिकारियोंऔर/अथवा अन्य सरकारी विनियामक / नियंत्रक प्राधिकरण द्वारा जारी लाइसेंस (लाइसेसों) की प्रमाणित

प्रति/प्रतियों के ब्योरे (संयुक्त अरब अमीरात स्थित विनिमयगृहों पर लागू)।

क) लाइसेंस सं.
ख) जारी करने की तारीख
ग) वैधता अवधि
घ) विशेष परिस्थिति, यदि कोई हो

7. निम्नलिखित द्वारा रिपोर्ट किया गया गोपनीय अभिमत-

क) देश में भारत का दूतावास
ख) विनिमयगृह का बैंकर
i) .....
बैंकर का नाम

ii) .....
बैंकर का नाम

8. क्या आवेदक बैक निम्नलिखित से पूरी तरह संतुष्ट है-

क) विनिमयगृह का प्रबंध करनेवाली कंपनी/ फर्म/लोगों की क्षमता
ख) विनिमयगृह के शेयरधारकों की वित्तीय स्थिति
ग) विनिमयगृह की वित्तीय स्थिति
घ) ड्राफ्टों को जारी करने के संबंध में विनिमयगृह में परिचालित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

9. विनिमयगृह के साथ हुए कोलेटरल व्यवस्था के ब्योरे दें (अर्थात् जमाराशि,बैंक गारंटी,आदि) और उसका औचित्य

<u>भाग इ- प्रस्तावित व्यवस्था के ब्योरे</u>

1. प्रस्तावित व्यवस्था के ब्योरे/ वर्णन
2.(क) रुपया/विदेशी मुद्रा आहरण व्यवस्था
(ख) कुल कारोबार का पूर्वानुमान (मासिक पूर्वानुमान की प्रमात्रा बताएं)

3. प्रस्तावित रुपया/विदेशी मुद्रा आहरण व्यवस्था को चलाने की प्रक्रिया (डीडीए/नॉनडीडीए/स्पीड)
4. खाता रखनेवाली शाखा का नाम और पता
5. प्रस्तावित रुपया/विदेशी मुद्रा आहरण व्यवस्था में शामिल किए जानेवाले आहरणकर्त्ता शाखाओं की सं.
6. क्या विनिमयगृह एक माह के अनुमानित आहरणों के समतुल्य विनिमयगृहों पर लागू जन्होंने अपने परिचालन के तीन वर्ष पूरे नहीं किए हैं ।
7. कोई अन्य सूचना,जो बैंक अपने आवेदन के समर्थन में देना चाहता है।

हम एतद् द्वारा प्रमाणित करते हैं कि -

i) पूर्वोक्त विनिमयगृह के स्त्रोत और हैसियत को ध्यान में रख कर .....के साथ प्रस्तावित व्यवस्था सावधानीपूर्वक विचार किया गया है और हम विनिमयगृह के साथ सम्बद्ध व्यक्तियों/फर्मों/कंपनियों की विश्वसनीयता और क्षमता से हम पूर्णत:संतुष्ट हैं।

ii) हमारी शाखाओं की अन्य विनिमयगृहों के साथ पहले से ही डीडी आहरण व्यवस्था है और जो ऊपर्युक्त विनिमयगृह अर्थात्.....के साथ प्रस्तावित व्यवस्था के तहत शामिल किए जाने के लिए अब प्रस्तावित है,एक और विनिमयगृह से होनेवाले कारोबार को करने के लिए पर्याप्त रूप से निपुण है ।

iii) हमने पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणाली निर्धारित की है , जो संतोषजनक रूप से कार्य कर रही है।

iv) हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए ब्योरे सत्य और सही हैं।

( )
महाप्रबंधक

पता

स्थान:
तारीख:

संलग्नक -III

[फरवरी 06,2008 का ए.पफ.(डीआइआर सिरीज़)परिपत्र सं.28 का संलग्नक]

विवरण अ

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I का नाम:

पूरा पता:

विनिमयगृह का नाम:

.....माह में खाते किए गए परिचालन के ब्योरे:

1. .....माह के दौरान खाते प्रारंभिक शेष (जमा/नामे): .....
2. माह के दौरान कुल जमा :.....
3. माह के दौरान कुल नामे :.....
4. दिनांक ..... को अंतिम शेष (जमा/नामे) :.....
5. प्रक्रियाधीन नामे का अनुमानित मूल्य :.....
(प्रोग्रेसिव एनुअल डेट सम्मेशन्स अथवा उपर्युक्त मद
सं. 3 द्वारा निर्धारित औसत 15 दिनों के आहरण,जो भी
अनुमान अधिक हो)
5क. पिछले एक सप्ताह के दौरान प्रधान भुनानेवाली शाखा/
कार्यालय द्वारा किए गए वास्तविक भुगतान की राशि
(अनुमानित प्रक्रियाधीन में जोड़ने के लिए) :.....
6. बैंक द्वारा अथवा डीडीए प्रक्रिया के तहत कोलेटेरल के
रूप में विदेश में रखी गई निधियां :.....
7. मद सं. 5 को कवर करने के लिए खाते शेष/कोलेटेरल
में अधिशेष/घाटा :.....
8. विनिमयगृह को बैंक द्वारा किए गए रुपयों की बिक्री के : तारीख वसूली गई विदेशी मुद्रा राशि
सदृश माह के दौरान खाते में दिए गए प्रत्येक विशिष्ट
विदेशी जमा पर विनिमयगृह से वसूली गई विदेशी मुद्रा प्रति-
मूल्य की राशि बताएं:

अ) हमारी अदाकर्त्ता सभी शाखाओं से माह के दौरान प्राप्त सभी पेमेंट एडवाइसों को विनिमयगृह के रुपया खातेां में ऋण उगाहने के लिए हिसाब में लिया गया है।

आ) विदेश में हमारा नास्त्रो खाता रखनेवाले बैंक से हमें यह पुष्टि सूचना प्राप्त हुई है कि विनिमयगृह के खाते में रुपया निधियां जमा करने से पहले हमारे नास्त्रो खाते में प्रति मूल्य (विदेशी मुद्रा) जमा करा दी गई है।

इ) हम पुष्टि करते हैं कि विनिमयगृहों के रुपया खातों का परिचालन भारिबैं द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों और संबंधित विनिमयगृहों के साथ संबंधित करार के अनुसार किया जाता है ।

ई) विवरण की प्रति हमारे बैंक के प्रभारी महाप्रबंधक,फॉरेन कॉरेसपोंडेंस रिलेशनशिप,और विभाग / प्रभारी अधिकारी को भेजी गई है।

उ) हम पुष्टि करते हैं कि हमें हमारे अंतर्राष्ट्रीय विभाग के महाप्रबंधक से कोई प्रतिकूल रिपोर्ट/सावधानी के संकेत नहीं मिले हैं,जिसके खाते विवरण प्रस्तुत करने के समय हमारे द्वारा रखे जा रहे हैं।

यह प्रमाणित करते हुए विवरण पर प्रतिहस्ताक्षर किए गए हैं कि बैंक में आंरिक रूप से इसकी समीक्षा की गई है और खातों का परिचालन संतोषजनक पाया गया है।

---	---
खाता रखनेवाली शाखा के मुख्य प्रबंधक	बैंक में अंर्तराष्ट्रीय प्रभाग/अंर्तराष्ट्रीय परिचालन के प्रभारी महाप्रबंधक

संलग्नक - IV

[फरवरी 06,2008 का ए.पफ.(डीआइआर सिरीज़)परिपत्र सं.28 का संलग्नक]

विवरण आ

बंद किए जानेवाले/बंद होने के अधीन विनिमयगृहों के खातों की स्थिति का समेकित विवरण (अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग के माध्यम से खाते रखनेवाले कार्यालय द्वारा प्रस्तुत किया जाए)

क्रम सं.	विनिमय गृह का नाम	केंद्र/ देश	खाते में अथशेष	माह के दौरान जमा यदि कोई	माह के दौरान नामे यदि	इतिशेष	कोई कोलेटेरल	पाई गई कोई अन्य देयता	कब खाते के बंद होने की संभावना	टिप्पणी (अर्थात् खाता बंद करने के आशय का पत्राचार और स्तं. आ मद का सार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(क) खाता बंद करने के संबंध में सभी विनिमयगृहों को नोटिस जारी किया गया है।

(ख) उपर्युक्त खातों,जिन्हें स्तंभ 9 में बताए गए के लिए सुरक्षित गया है, के संबंध में कोई भी प्रक्रियाधीन नामे अथवा वसूली की मद नहीं है ।

(ग) खातों में लेनदेनों को ,जो अब भी परिचालन में हैं, प्रत्येक विनिमयगृह के टाईटल नाम के तहत संलग्नक में अलग से स्पष्ट किया जाता है(इस प्रयोजन के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणी शीट अलग से संलग्न करें)।

(घ) समीक्षाधीन माह के दौरान उपर्युक्त दशाए गए निम्नलिखित खातों को बंद किया गया है:

.....
खाता रखनेवाली शाखा के
मुख्य प्रबंधक

यह प्रमाणित करते हुए विवरण प्रतिहस्ताक्षरित किया गया है कि उपर रिपोर्ट किए गए सभी खाते संबंधित विनिमयगृहों के अधीन हैं और विधिवत् कार्य से वंचित किए गए हैं और उन्हें बंद करने की अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

.....
प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I में अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग/
अंतर्राष्ट्रीय परिचालन के प्रभारी महाप्रबंधक

संलग्नक V

[फरवरी 06,2008 का ए.पफ.(डीआइआर सिरीज़)परिपत्र सं.28 का संलग्नक]

विवरण इ

भारतीय बैंकों की समुद्रपारीय शाखाओं (प्रा.व्या.श्रेणी I)में रखे गए विनिमयगृह खातों के ब्योरों के संबंध में मासिक विवरण

प्रा.व्या.श्रेणी I का नाम :

क्रम सं.	खाता खोलने की तारीख	विनिमयगृह का नाम	समुद्रपारीय शाखा का नाम	खाता का प्रकार	खोलने का कारण (एच.ओ. प्राधिकरण को कोट करें,यदि कोई हो)	पिछले माह के अंत में शेष	विवरण से संबंधित माह के अंत में शेष	बकाया देयता एं यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7	8	9

.....

संलग्नक VI

[फरवरी 06,2008 का ए.पफ.(डीआइआर सिरीज़)परिपत्र सं.28 का संलग्नक]

विवरण ई

प्रा.व्या.श्रेणी I का नाम:..... आहरणकर्त्ता शाखाओं की संख्या:.....
पूरा पता:..... खाते का प्रकार:.....
भारिबैं अनुमोदन सं. और तारीख:.....

विनिमयगृह का नाम:.....
..... के दौरान खाते में परिचालन के ब्योरे

क्रम सं.	ब्योरे	(अमरीकी डालर में राशि)	(जीबीपी में राशि)
1.	विवरण से संबंधित माह के आरंभ में खाते में अथशेष(जमा/नामे)		
2.	माह के दौरान कुल जमा		
3.	माह के दौरान कुल नामे		
4.	.....को अंतिम शेष (जमा/नामे)		
5.	प्रक्रियाधीन नामे का अनुमानित मूल्य (औसत 15 दिनों का आहरण,वार्षिक ऋण संकलन में वृद्धि करके या उपर्युक्त मद सं. 3 द्वारा ,जो भी अधिक हो)		
5.(क)	पिछले एक सप्ताह के दौरान प्रधान भुनाने वाली शाखाओं/कार्यालयों द्वारा किए गए वास्तविक भुगतानों की राशि (अनुमानित प्रक्रियाधीन में जोड़ने के लिए)		
6.	बैंक द्वारा अथवा प्रक्रिया के अधीन कोलेटेरल के रूप में विदेश में रखी गई निधियां		
7.	मद सं. 5 की रक्षा के लिए खाते में शेष/कोलेटेरल में अधिशेष/घाटा		

8. (क) हमारे भुगतानकर्त्ता शाखाओं से माह के दौरान प्राप्त सभी भुगतान सूचनाओं(पेमेंट अडवाइसेस) को विनिमयगृहों के यूएसडी/जीबीपी खातों में ऋण उगाहने के लिए हिसाब में लिया गया है।

(ख) हम पुष्टि करते हैं कि विनिमयगृहों के यूएसडी/जीबीपी खातों का परिचालन भारिबैं द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों और संबंधित विनिमयगृहों के साथ संबंधित करार के अनुसार ही किया जाता है।

(ग) विवरण की प्रति हमारे प्रभारी महाप्रबंधक,फॉरेन कॅारेसपोंडेंस रिलेशन्स एंड डिपार्टमेंट/प्रभारी अधिकारी-नास्त्रो खाता को भेज दी गई है।

(घ) हम पुष्टि करते हैं कि हमें विनिमयगृह के बारे में, जिसका खाता भारिबैं को विवरण दाखिल करते समय हमारे पास रहा है,हमारे अंतर्राष्ट्रीय विभाग के महाप्रबंधक से कोई प्रतिकूल रिपोर्ट / सावधानी के संकेत नहीं प्राप्त हुए हैं।

.....

खाता रखनेवाली शाखा
के महाप्रबंधक

यह प्रमाणित करते हुए विवरण पर प्रतिहस्ताक्षर किए गए हैं कि बैंक में इसकी रूप से समीक्षा की गई है और कि संचालन संतोषजनक समझा गया है।

.....

अंतराष्ट्रीय प्रभाग/प्रा.व्या.श्रेणी I के अंतराष्ट्रीय परिचालन के प्रभारी महाप्रबंधक के हस्ताक्षर

संलग्नक VII

[फरवरी 06,2008 का ए.पी.(डीआइआर सिरीज़)परिपत्र सं.28 का संलग्नक]

विवरण उ.

.....को समाप्त तिमाही के दौरान विनिमयगृहों के माध्यम से
विदेशी मुद्रा के आवकों को दर्शानेवाला विवरण
(राशि अमरीकी डालर में)

क्रम सं.	विनिमयगृह और देश का नाम	कवर की गई शाखाओं की सं.	पिछले वर्ष दिसं.अंत में प्राप्त विदेशी मुद्रा	चालू वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा आवक				वृद्धि(+)/ गिरावट(-) पिछली तिमाही और रिपोर्टिंग तिमाही के बीच (%)	विदेशी मुद्रा बर्हिवाह (राशि)
				जन.- मार्च	अप्रैल- जून	जु.- सितं	अक्तू.- दिसं.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

टिप्पणी: (क) संबंधित तिमाही के दौरान स्तंभ (5) से (8) को प्रत्येक वर्ष जनवरी माह से शुरू अवधि के लिए दर्साया जाए।इन आंकड़ों के ठीक नीचे ,पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के लिए आंकड़े कोष्ठकों में दर्शाएं जाएं।आहरण व्यवस्था से संबंधित आकड़े आरडीए और विदेशी मुद्रा आहरण व्यवस्था दोनों के माध्यम से निधियों के आवक को कवर करे।

(ख) विदेशी मुद्रा केवल अमरीकी डालर में दर्शायी जाए।

(ग) स्तंभ (9) में प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्ति के साथ राशि(+)अथवा (-)प्रस्तुत करें।

(घ) यह विवरण बैंक के प्रधान कार्यालय के अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग विभाग/ प्रभाग के मुख्य द्वारा ,जो कम से उप महाप्रबंधक की श्रेणी का हो, हस्ताक्षरित होना चाहिए।

(ड.) यथावश्यक संलग्नक-1 के(इ)के क्रम सं.(v),(vi),(vii),(viii),(ix) और (x) की घोषणा के अनुसार अपेक्षाओं से अंतर के ब्योरे प्रस्तुत करने के लिए अलग शीट जोड़ें।

कृपया की गई सुधारात्मक कार्रवाई और वर्तमान हैसियत भी बताएं।

हम एतद् द्वारा प्रमाणित करते हैं कि -

i) उपर्युक्त सूचना वास्तविक आंकड़ों के संदर्भ से संकलित की गई है और प्रक्रियाधीन लेनदेनों को शामिल नहीं किया गया है।

ii) निम्नलिखित कारणों की दृष्टि से कवर की गई शाखाओं की संख्या पिछले विवरण की प्रस्तुति से .....से बढ़कर .....हो गई है।

iii) विदेशी मुद्रा आवकों में वृद्धि/गिरावट निम्नलिखित कारणोस से है:

iv) उपर्युक्त सूचित आंकड़े .....के परिणामस्वरूप हैं और भारिबैं ने दिनांक.....के अपने पत्र सं..... द्वारा अनुमोदन दिया है।

v) उपर्युक्त खातों में रिपोर्ट के अधीन तिमाही के दौरान सभी जमा शेषों थे।

vi) खाते की निधियां अनुमानित प्रक्रियाधीन लेनदेनों को कवर करने के लिए पर्याप्त थी।

vii) हमारी समुद्रपारीय शाखाओं ने उपर्युक्त /उपर्युक्त किसी भी विनिमयगृह को कोई ऋण सहायता /अग्रिम नहीं दी है।

viii) हम अपने शीर्ष प्रबंधन को संलग्नक -III, संलग्नक- IV,संलग्नक -Vऔर संलग्नक VI के अनुसार क्रमश: विवरण "अ,"आ ","इ "और "ई " नियमित रूप से प्रस्तुत करते हैं।

ix) हमें उपर्युक्त विनिमयगृहों /उपर्युक्त किसी भी विनिमयगृह के खाते में परिचालन और /अथवा विनिमयगृहों के साथ रुपया और/अथवा विदेशी मुद्रा आहरण व्यवस्था के संबंध में कोई प्रतिकूल लक्षण नहीं मिले हैं।

x) हम उपर्युक्त विनिमयगृह (विनिमयगृहों) के स्रोतों और वित्तीय हैसियत पर सावधानीपूर्वक निगरानी रखते हैं और इस रिपोर्ट की तारीख की स्थिति में हमारे पास रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट करन के लिए कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

बैंक का नाम

हस्ताक्षर

पता
नाम
पदनाम
तारीख